

प्रेस नोट थाना गुलरिहा जनपद गोरखपुर दिनांक 19.06.2024

अवैध तमंचा के साथ 01 नफर अभियुक्त गिरफ्तार

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद गोरखपुर द्वारा अपराधों पर अंकुश लगाने एवं अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में, पुलिस अधीक्षक नगर के मार्गदर्शन में, क्षेत्राधिकारी गोरखनाथ के पर्यवेक्षण में व प्रभारी निरीक्षक गुलरिहा के नेतृत्व में उ0नि0 अनित राय मय पुलिस टीम द्वारा दारौने चेकिंग अभियुक्त पारस यादव पुत्र स्व0 ब्रह्मदेव यादव निवासी जैनपुर टोला अहलादपुर थाना गुलरिहा जनपद गोरखपुर को 01 अदद तमंचा 315 बोर के साथ गिरफ्तार किया गया। उक्त गिरफ्तारी/बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 522/2024 धारा 3/25 आयुध अधिनियम पंजीकृत किया गया। अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम, पता व आपराधिक इतिहास-

पारसनाथ यादव पुत्र स्व0 बासदेव यादव निवासी जैनपुर टोला अहलादपुर थाना गुलरिहा गोरखपुर

आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 522/2024 धारा 3/25 आयुध अधिनियम थाना गुलरिहा गोरखपुर
2. मु0अ0सं0 402/2019 धारा 323,452,504,506 भादवि0 थाना गुलरिहा जनपद गोरखपुर

बरामदगी:-

01 अदद तमंचा 315 बोर

गिरफ्तारी की टीम-

1. उ0नि0 अनित राय थाना गुलरिहा, गोरखपुर
2. का0 पियूष पटेल थाना गुलरिहा जनपद गोरखपुर